**भारत सरकार**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं.1570**

**दिनांक 4 मार्च, 2020**

**प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के अंतर्गत लंबित आवेदन**

**1570. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डीः**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिनांक 01 जनवरी, 2020 की स्थिति के अनुसार प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के अंतर्गत लंबित आवेदनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आवेदनों का औसत रूप से लंबित रहने का समय, कितना है और इसको न्यूनतम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इस योजना के 8 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त करने के बाद इस योजना को आगे बढ़ाने की कोई योजना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री**

**(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)**

(क) और (ख):  पीएमयूवाई के तहत 8 करोड़ एलपीजी कनेक्‍शनों को जारी करने का लक्ष्‍य पहले ही दिनांक 07 सितम्‍बर, 2019 को हासिल कर लिया गया है।  इसके अलावा, एलपीजी कनेक्‍शनों को जारी करना एक सतत प्रक्रिया है और एलपीजी डि‍स्‍ट्रीब्‍यूटरों को यह निर्देश दिए गए हैं कि नए एलपीजी कनेक्‍शन के लिए कोई अनुरोध प्राप्‍त होने पर तत्‍काल उसे पंजीकृत किया जाए। ओएमसीज का यह प्रयास रहता है कि पात्रता के अनुसार तथा विधिवत प्रक्रिया पूरी होने के बाद 7 कार्य दिवसों में कनेक्‍शन जारी कर दिया जाए।

(ग) और (घ):  जी नहीं।  वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्‍ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

\*\*\*\*